भारत सरकार

जनजातीय कार्य मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या -73

उत्तर देने की तारीख- 24.07.2025

वन अधिकार अधिनियम, 2006 का कार्यान्वयन

73. श्री बैन्नी बेहनन :

श्री के.राधाकृष्णन:

क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में वन अधिकार अधिनियम, 2006 के कार्यान्वयन, विशेषकर व्यक्तिगत और सामुदायिक वन अधिकारों की मान्यता के संबंध में राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) विगत पाँच वर्षों के दौरान जनजातीय उप-योजना के अंतर्गत आवंटित और उपयोग की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है और उसके प्रभाव की निगरानी किस प्रकार की जा रही है;

(ग) क्या सरकार की केरल के 'ट्राइबल प्लस' कार्यक्रम के समान कोई राष्ट्रव्यापी योजना शुरू करने की योजना है जिससे जनजातीय परिवारों के लिए मनरेगा के अंतर्गत अतिरिक्त रोजगार सुनिश्चित हो सके और यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है;

(घ) केंद्र सरकार के विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और शैक्षणिक संस्थानों में अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित पदों की रिक्तियों की स्थिति क्या है; और

(ङ) विगत तीन वर्षों के दौरान मैट्रिक-पूर्व और मैट्रिक-पश्चात छात्रवृत्ति योजनाओं से राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार कितने जनजातीय छात्र लाभान्वित हुए हैं?

उत्तर

जनजातीय कार्य मंत्री
(श्री जुएल ओराम)

(क) से (ड.): विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।

श्री बैन्नी बेहनन और श्री के. राधाकृष्णन द्वारा "वन अधिकार अधिनियम, 2006 का कार्यान्वयन" के संबंध में 24.07.2025 को पूछे जाने वाले लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 73 के उत्तर में संदर्भित विवरण (ब्यौरा)

(क) :जनजातीय कार्य मंत्रालय, अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के विधायी मामलों के प्रशासन के लिए नोडल मंत्रालय होने के नाते, अधिनियम की धारा 12 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधिनियम के उचित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न पहलुओं पर समय-समय पर निर्देश और दिशा-निर्देश जारी करता रहा है।एफआरए और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार, संबंधित राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन एफआर अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार हैं और इन्हें 20 राज्यों और 1 संघ राज्यक्षेत्र में कार्यान्वित किया जा रहा है।

जनजातीय कार्य मंत्रालय राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों से मासिक प्रगति रिपोर्ट माँगता है, राज्यों द्वारा दी गई नवीनतम जानकारी और एमपीआर के अंतर्गत 31 मई, 2025 तक संकलित जानकारी के अनुसार, कुल 25,11,375 स्वामित्व अधिकार पत्रों को मान्यता दी गई है, जिनमें 2,32,73,947.39 एकड़ की सीमा तक वन भूमि पर 23,89,670 व्यक्तिगत और 1,21,705 सामुदायिक स्वामित्व अधिकार पत्र शामिल हैं। राज्य-वार विवरण **अनुलग्नक I** में संलग्न हैं।

(ख): राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों द्वारा अपने स्वयं के कोष (निधियों) से टीएसपी के लिए आवंटन और व्यय का ब्यौराhttps://statetsp.tribal.gov.in पर उपलब्ध है। टीएसपी की निगरानी योजना आयोग द्वारा 2014 में जारी राज्य टीएसपी दिशानिर्देशों के आधार पर की जाती है।

(ग): ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (महात्मा गांधी नरेगा) एक मांग-आधारित मजदूरी रोजगार योजना है। यह देश के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले परिवारों की आजीविका सुरक्षा को बढ़ाने के लिए प्रत्येक वित्तीय वर्ष में प्रत्येक परिवार जिसके वयस्क सदस्य स्वेच्छा से अकुशल शारीरिक श्रम करने के लिए तैयार हों, को कम से कम सौ दिनों का गारंटीकृत मजदूरी रोजगार प्रदान करती है।इसमें वन क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति के परिवारों के लिए 50दिनों का अतिरिक्त मजदूरी रोजगार अनिवार्य किया गया है तथा सूखा या प्राकृतिक आपदा प्रभावित ग्रामीण क्षेत्रों में 50दिनों का अतिरिक्त मजदूरी रोजगार भी प्रदान किया गया है।राज्य सरकारें अपने कोष (निधियों) का उपयोग करके गारंटीकृत अवधि के अलावा अतिरिक्त दिनों का रोज़गार आवंटित कर सकती हैं। इस योजना का कार्यान्वयन

राज्य की ज़िम्मेदारी है और महात्मा गांधी नरेगा में इसके समुचित कार्यान्वयन के लिए कई प्रावधान किए गए हैं।

(घ): कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) केंद्र सरकार में अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित पदों की रिक्तियों की प्रगति की निगरानी करता है। डीओपीटी द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार,"बैकलॉग आरक्षित रिक्तियों के साथरिक्तियों का होना और उनका भरा जाना, एक सतत प्रक्रिया है।"केन्द्र सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों को निर्देश जारी किए गए हैं कि वे बैकलॉग आरक्षित रिक्तियों की पहचान करने, ऐसी रिक्तियों के मूल कारणों का अध्ययन करने, ऐसी रिक्तियों के कारणों को दूर करने के उपाय शुरू करने तथा विशेष भर्ती अभियान के माध्यम से उन्हें भरने के लिए एक आंतरिक (इन-हाउस) समिति का गठन करें।रिक्तियों का विवरण संबंधित मंत्रालय/विभाग द्वारा रखा जाता है। केंद्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों को समय-समय पर रिक्त पदों को समयबद्ध तरीके से भरने के निर्देश दिए गए हैं।केन्द्र सरकार के प्रत्येक मंत्रालय/विभाग को आरक्षण से संबंधित आदेशों और अनुदेशों का समुचित अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उप सचिव और उससे ऊपर के पद के एक अधिकारी को संपर्क अधिकारी के रूप में नामित करना आवश्यक है।इसके अतिरिक्त, प्रत्येक मंत्रालय/विभाग को संपर्क अधिकारी के प्रत्यक्ष नियंत्रण में एक विशेष आरक्षण प्रकोष्ठ स्थापित करना आवश्यक है, ताकि उसे अपने कर्तव्यों के निर्वहन में सहायता मिल सके।हालाँकि, यह सूचित किया जाता है कि मंत्रालयों/विभागों द्वारा 1.1.2025 तक प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार, 2016 से अब तक 1.15 लाख से अधिक अनुसूचित जनजाति की रिक्तियों सहित4.65 लाख से अधिक बैकलॉग रिक्तियों को भरा जा चुका है। इसके अलावा, मंत्रालयों/विभागों द्वारा कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग को सूचित कुल कर्मचारी संख्या में अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधित्व 8.8% है।

उपर्युक्त के अतिरिक्त, सार्वजनिक उद्यम विभाग को सूचित किया गया है कि- "सार्वजनिक उद्यम सर्वेक्षण 2023-24 (31.3.2024 तक) में उपलब्ध जानकारी के अनुसार, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के संचालन में कार्यरत कुल 8.12 लाख कर्मचारियों में से 0.88 लाख (10.85%) अनुसूचित जनजाति के थे।"

(ड.): पिछले तीन वर्षों के दौरान मैट्रिक-पूर्व और मैट्रिक-पश्चात् छात्रवृत्ति योजनाओं से लाभान्वित जनजातीय छात्रों की संख्या **अनुलग्नक-II** में संलग्न है।

अनुलग्नक-I

"वन अधिकार अधिनियम, 2006 का कार्यान्वयन" के संबंध में श्री बैन्नी बेहनन और श्री के. राधाकृष्णन द्वारा दिनांक 24.07.2025को पूछे जाने वाले लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 73के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक-I

दिनांक 31.05.2025 **तक प्राप्त दावों, वितरित स्वामित्व अधिकार पत्रों और वन भूमि की सीमा जिसके लिएअधिकार पत्र (व्यक्तिगत और सामुदायिक) वितरित किए गए, का राज्य-वार ब्यौरा नीचे दर्शाया गया है:**

क्र. सं.	राज्य/ संघ राज्यक्षेत्र	वितरित स्वामित्व अधिकार पत्रों की संख्या			वनभूमि की सीमा जिसके लिए स्वामित्व अधिकार पत्र वितरित किए गए (एकड़ में)		
		व्यक्तिगत	सामुदायिक	कुल	व्यक्तिगत	सामुदायिक	कुल
1	आंध्रप्रदेश	226,651	1,822	228,473	454,706	526,454	981,160.00
2	असम	57,325	1,477	58,802	एनए/एनआर	एनए/एनआर	एनए/एनआर
3	बिहार	191	0	191	53.03	0.00	53
4	छत्तीसगढ़	481,432	52,636	534,068	949,770.89	9,102,957.49	10,052,728.38
5	गोवा	856	15	871	1,506.45	18.66	1,525.11
6	गुजरात	98,732	4,792	103,524	168,448.83	1,240,680.15	1,409,128.99
7	हिमाचलप्रदेश	662	146	808	126.65	62,677.24	62,803.89
8	झारखंड	59,866	2,104	61,970	153,395.86	103,758.97	257,154.83
9	कर्नाटक	14,981	1,345	16,326	20,077.30	36,340.52	56,417.82
10	केरल	29,422	282	29,704	38,810.58	788,651.25	827,461.83
11	मध्यप्रदेश	266,901	27,976	294,877	903,533.06	1,463,614.46	2,367,147.52
12	महाराष्ट्र	199,667	8,668	208,335	461,491.25	3,371,497.43	3,832,988.68
13	ओडिशा	462,067	8,832	470,899	674,775.33	743,193.39	1,417,968.72
14	राजस्थान	49,215	2,551	51,766	70,387.18	239,763.95	310,151.13
15	तमिलनाडु	15,442	1,066	16,508	22,104.80	60,468.77	82,573.57
16	तेलंगाना	230,735	721	231,456	669,689.14	457,663.17	1,127,352.32
17	त्रिपुरा	127,931	101	128,032	465,192.88	552.40	465,745.28
18	उत्तरप्रदेश	22,537	893	23,430	एनए/एनआर	एनए/एनआर	एनए/एनआर
19	उत्तराखंड	184	1	185	0.00	0.00	0.00
20	पश्चिमबंगाल	44,444	686	45,130	21,014.27	572.03	21,586.29
21	जम्मूएवंकश्मीर	429	5,591	6,020	एनए/एनआर	एनए/एनआर	एनए/एनआर
	कुल	**2,389,670**	**121,705**	**2,511,375**	**5075083.51**	**18198863.89**	**23273947.39**

एनए/एनआर-संबंधित आंकड़े या तो उपलब्ध नहीं हैं या रिपोर्ट नहीं किए गए हैं।

अनुलग्नक-II

"वन अधिकार अधिनियम, 2006 का कार्यान्वयन" के संबंध में श्री बैन्नी बेहनन और श्री के. राधाकृष्णन द्वारा दिनांक 24.07.2025 को पूछे जाने वाले लोकसभा तारांकित प्रश्न संख्या 73 के भाग (ङ) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक-II

अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के लाभार्थियों का ब्यौरा				
क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	शैक्षणिक वर्ष 2022-23	शैक्षणिक वर्ष 2023-24	शैक्षणिक वर्ष 2024-25
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	386	193	311
2	आंध्र प्रदेश	129032	79780	67888
3	अरुणाचल प्रदेश	46330	42417	45125
4	असम	62140	58774	77350
5	बिहार	3768	1444	3428
6	छत्तीसगढ़	34184	40552	34022
7	दादरा एवं नगर हवेली तथा दवन व दीव	2208	1053	1627
8	गोवा	4439	3274	3163
9	गुजरात	262538	226456	233161
10	हिमाचल प्रदेश	4303	4390	4937
11	जम्मू एवं कश्मीर	10430	7319	15309
12	झारखंड	147633	148676	65104
13	कर्नाटक	131968	123707	125823
14	केरल	17652	12721	13072
15	लद्दाख	8619	9413	8969
16	मध्य प्रदेश	391317	353486	326410
17	महाराष्ट्र	106817	130359	33432
18	मणिपुर	42572	33542	32275
19	मेघालय	61360	76755	73902
20	मिजोरम	38784	31685	28471
21	नागालैंड	40638	42485	41793
22	ओडिशा	204172	213957	230366
23	पुडुचेरी	18	11	10
24	राजस्थान	236628	168516	*

25	सिक्किम	2650	1849	2411
26	तमिलनाडु	23529	25216	28273
27	तेलंगाना	114911	131505	131032
28	त्रिपुरा	37380	33678	33506
29	उत्तर प्रदेश	9655	9676	10427
30	उत्तराखंड	3534	3972	4766
31	पश्चिम बंगाल	63208	37760	29528
	कुल	2242803	2054621	1705891

*- राज्य/संघ राज्यक्षेत्र द्वारा लाभार्थी डेटा की रिपोर्ट नहीं की गई

अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों के लाभार्थियों का ब्यौरा

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	शैक्षणिक वर्ष 2022-23	शैक्षणिक वर्ष 2023-24	शैक्षणिक वर्ष 2024-25
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	260	173	281
2	आंध्र प्रदेश	40465	0	0
3	अरुणाचल प्रदेश	5178	2852	2831
4	असम	5688	4353	8075
5	बिहार	26450	8451	15139
6	छत्तीसगढ़	28642	44837	27171
7	दादरा एवं नगर हवेली तथा दवन व दीव	2017	1273	1162
10	गोवा	2108	1670	1698
11	गुजरात	157553	121083	124886
12	हिमाचल प्रदेश	2479	2616	3260
13	जम्मू एवं कश्मीर	4689	2548	8371
14	झारखंड	129269	114519	129142
15	कर्नाटक	98705	97191	104211
16	केरल	7604	7323	10312
17	लद्दाख	760	2228	2029
18	मध्य प्रदेश	255944	259997	212347
19	मणिपुर	1836	3470	3916
20	मेघालय	1588	5590	6149

21	**मिजोरम**	10312	8911	8807
22	**नागालैंड**	*	*	*
23	**ओडिशा**	79252	106691	122029
24	**पुडुचेरी**	21	11	14
25	**राजस्थान**	73816	76272	57037
26	**सिक्किम**	49	62	377
27	**तमिलनाडु**	15325	17557	19178
28	**तेलंगाना**	9255	2460	*
29	**त्रिपुरा**	15017	11601	12597
30	**उत्तरप्रदेश**	1579	2329	3211
31	**उत्तराखंड**	1464	902	*
32	**पश्चिमबंगाल**	23979	21789	24333
	कुल	1001304	928759	908563

***- राज्य/संघ राज्यक्षेत्र द्वारा लाभार्थी डेटा की रिपोर्ट नहीं की गई**

*****